निर्णय बइजलास श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :–90/2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 07/10/2025
निर्णय दिनांकः– 24/11/2025

अनवान

1. नाथुलाल पिता मिश्रीलाल बाबेल निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1. शान्तिलाल पिता केसरीमल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मीना देवी पत्नी मनोहरलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. चिराग पिता भेरुलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. निलन पिता भेरुलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. योगेश पिता भेरुलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. रिठा पिता भेरुलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. संगीता पत्नी भेरुलाल महाजन निवासी कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी कब्जे आधिपत्य की भूमि राजस्व ग्राम कुन्दवा में पटवार हल्का कुन्दवा भु.अभि.नि.क्षे. पारडी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित है जिसके खाता संख्या 177 होकर आराजी नं. 252 रकबा 0.4000 है. तथा आराजी नं. 253 रकबा 0.1100 है। उक्त भूमि पर प्रार्थी ने पत्थर एवं कांटो की बाड लगा रखी हैं। जिस पर प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी उपयोग उपभोग कर रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज है, जबकि विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी केसरीमल जी पिता पन्नालाल जी से प्रार्थी के पिता मिश्रीलाल पिता छोगालाल जी ने करीब 70 वर्ष पूर्व क्रय की थी। उक्त भूमि पर करीब 70 वर्ष से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का कब्जा आधिपत्य चला आ रहा हैं जिस पर काबिज होकर प्रार्थी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता मिश्रीलाल जी को विपक्षीगण के पूर्वाधिकारी केसरीमल जी ने विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, किन्तु विक्रय पत्र निष्पादित नहीं होने से रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं हो पाया जबकि उक्त भूमि विक्रय दिनांक से आज दिन तक प्रार्थी एवं

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी के पिता के कब्जा आधिपत्य में होकर उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा प्रार्थी का विद्यमान है प्रार्थी द्वारा भूमि पर पत्थर, धोर एवं कांटो की बाड कर रखी हैं, तथा पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पर कब्जा प्रार्थी का होकर प्रार्थी द्वारा काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा है तथा 70 वर्षों से काबिज है। कुछ दिनों पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सड़क निर्माण करने पर कांटो की बाड को हटा दिया था। उक्त बाड को पुनः लगाने गया तो विपक्षीगण द्वारा जबरन मौके पर आकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर लडाई झगडा करने को उतारू हुआ और धमकीया देने लगे कि उक्त जमीन हमारे नाम पर दर्ज है हम इस जमीन से प्रार्थी का कब्जा हटाकर जबरन कब्जा करेंगें और लडाई झगडा करने पर उतारू हो गए जबकि पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजीयात् पर करीब 70 वर्षों से प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी काबिज हैं। उक्त सम्बन्ध में पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी कर रखा हैं तथा गिरदावरी में भी प्रार्थी का कब्जा होना अंकित है जिसमें स्पष्ट है कि प्रार्थी कई वर्षों से भूमि पर काबिज है। जिस कारण से पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में खाता अधिकारों की घोषणा की डिक्री पारित की जाना आवश्यक है। विपक्षीगण के नाम पर रेकर्ड में भूमि दर्ज होने से उनके मन में बदनियति आ गई है जबरन प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा, रूकावट व दखलन्दाजी पैदा कर रहे है तथा प्रार्थी को मौके से हटाकर कब्जा करना चाह रहे है तथा भूमि को खुर्द बुर्द कर अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने को उतारू हो रहे है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा विपक्षीगण को रोका जाना आवश्यक है। अन्यथा विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि में जबरन कब्जा कर खुर्द बुर्द कर देंगे। भूमि को नष्ठ कर देंगें। विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या दो में वर्णित भूमि में विपक्षीगण किसी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय अन्तरण नहीं करे, खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करेएवं मौके की व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन अर्थ में सम्भव नहीं होगा तथा पक्षकारों के मध्य काफी वैमन्यस्तता बढ जाएगी एवं व्यर्थ की मुकदमेंबाजी बढ़ेंगी। उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधारो पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष के पक्ष में हैं यदि विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय सारवान क्षति होगी. जिसकी पूर्ति अर्थ में कदापि सम्भव नहीं होगी और पक्षकारो के मध्य व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढेगी परस्पर वैमनस्यता बढेगी। जिससे प्रार्थी अपने वैध हक अधिकारो से वंचित हो जावेगा। ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक हैं जिसके लिये यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 8 भूमिधारी होने से तथा मौके की स्थिति के जानकार होने से तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद होने से उचित एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

सहायक कलक्टर, देवगढ़ ● जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियो को विपक्षीगण किसी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय अन्तरण नहीं करे, खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे, एवं मौके की व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियो को विपक्षीगण दौराने सुनवाई वाद खुर्दु बुर्द नहीं करे, अथवा उनकी प्रकृति को परिवर्तित नहीं करे व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे, तथा किसी कारण से उक्त भूमियों की स्थिति को परिवर्तित कर देवे व राजस्व रेकार्ड में फेर बदल कर देवे तो उसे पुनः कृषि भूमियो के रूप में पूर्ववत स्थिति कायम करवाई जावे। विपक्षी संख्या 8 भूमिधारी होने से तथा मौके की स्थिति के जानकार होने से तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद होने से उचित एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्ध ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियो को विपक्षीगण किसी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय अन्तरण नहीं करे, खुर्द बुर्द नहीं करे तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे, एवं मौके की व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियो को विपक्षीगण दौराने सुनवाई वाद खुर्दु बुर्द नहीं करे, अथवा उनकी प्रकृति को परिवर्तित नहीं करे व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति को बनाये रखे, तथा किसी कारण से उक्त भूमियों की स्थिति को परिवर्तित कर देवे व राजस्व रेकार्ड में फेर बदल कर देवे तो उसे पुनः कृषि भूमियो के रूप में पूर्ववत स्थिति कायम करवाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी विपक्षीगणों की मौरुसी होकर नियमानुसार केसरीमल के वारिसान के नाम पर दर्ज है जो सही। विपक्षीगणों के पूर्वज केसरीमल द्वारा किसी प्रकारसे उक्त भूमि का विक्रय प्रार्थी के पिता को नहीं किया गया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि पूर्वकाल से लेकर वर्तमान तक विपक्षीगणों का कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं वर्तमान में मुख्य सड़क की तरफ पत्थर की दीवार लगी होकर लोहे की फटक व ताला विपक्षीगणों का लगा हुआ है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अवलोकन से जाहिर आया कि ग्राम पंचायत कुन्दवा द्वारा कब्जे सम्बन्धी दिए गए प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया है इस सम्बन्ध में यह है कि ग्राम पंचायत कुन्दवा द्वारा कब्जे संबंधी दिया गया प्रमाण पत्र नियमों से परे है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि में ही कब्जे सम्बन्धी विवाद का निर्धारण करने के लिए ही अधिकृत है, खातेदारी भूमि में नहीं। प्रार्थना पत्र में कब्जे को आधार बनाकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया है, उक्त प्रार्थना पत्र में यह विरोधाभासी स्थिति है, एक ओर कब्जा को आधार बनाया जा रहा है, दूसरी और विक्रय को आधार जबकि विक्रय से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वैसे भी कब्जे के सम्बन्धी बिन्दू मूल दावे में ही तय हो सकते है, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में नहीं।

उपरोक्त विवेचन से उक्त प्रार्थना पत्र रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी ठोस, साक्ष्य, दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया है प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

24/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द